न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण क्रमांक 44 / बी–121 / 2014–15

: आदेश ::

(आज दिनांक 23 / 06 / 2015 को पारित किया गया)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर के माध्यम से तहसीलदार अलीराजपुर का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त, प्रकरण का अवलोकन किया गया। दिनांक 30.04.2015 को घटनास्थल ग्राम इंदरसिंह की चौकी तहसील अलीराजपुर मे सड़क दुर्घटना (खडी टेक्टर टाली एवं मोटरसाईकिल से) होने पर नानसिंह पिता कुवरसिंह जाति भिलाला निवासी ग्राम अकलु की मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान राशि रूंपये 15,000 / – (पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार अलीराजपुर के अभिमत से सहमत होकर थाना रिर्पोट एवं पी.एम.रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर वारिशान में मृतक का पिता कुवरसिंह पिता अभेसिंह जाति भिलाला निवासी अकलु ,तहसील अलीराजपुर को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक / एफ–20–21 / 2012 / 1 / 4 भोपाल, दिनाक 16 / 07 / 2014 में निहित प्रावधान अनुसार सडक दुर्घटना मे मृत्यु होने पर आर्थिक अनुदान सहायता राशि रूपये 15,000 / –(पन्द्रह हजार रूपये) स्वीकृत किये जाते है।

उक्त व्यय मांग संख्या 02–लेखाशीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –800–अन्य व्यय– (1982) दुर्घटना में मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता –42 सहायता अनुदान –007 अन्य आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 536 / रीडर / 2015 अलीराजपुर दिनांक....23/6/2015

प्रतिलिपिः–

1 जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2 प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर
3 प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अलीराजपुर ।
5 तहसीलदार तहसील अलीराजपुर ।
6 संबंधित कुवरसिंह पिता अभेसिंह जाति भिलाला निवासी अकलु ,तहसील अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ। संलग्न बैक खाते की छाया प्रति।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर